झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश सं0–03/आरोप–11–57/2024 का०–...3326.../राँची, दिनांक ...05...जून, 2025

उपायुक्त, धनबाद के द्वारा श्री दिवाकर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–312/20), जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद से मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, विधि–व्यवस्था संधारण में रूचि नहीं लेने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता संबंधी आरोप पर स्पष्टीकरण पूछते हुए उसकी प्रतिलिपि ज्ञापांक–944/गो0, दिनांक 13.10.2024 एवं ज्ञापांक–955/गो0, दिनांक 17.10.2024 द्वारा विभाग को दी गई।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–7601, दिनांक 21.11.2024 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से श्री द्विवेदी के विरूद्ध आरोप बनता है तो, उनके विरूद्ध आरोप पत्र की माँग की गई।

उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक–216/गो0, दिनांक 12.03.2025 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद, श्री द्विवेदी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक विचारोपरांत उन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त किया गया है।

अतः उपायुक्त, धनबाद के प्रतिवेदन के आलोक में श्री दिवाकर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–312/20), जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद से संबंधित इस मामले को संचिकास्त्त किया जाता है।

05/05/25

(अनल प्रतीक मिंज)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 03/आरोप–11–57/2024 का०–...3326.../राँची, दिनांक ...05...जून, 2025

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय सचिव कोषांग/सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, धनबाद/उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग/विभागीय संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–2/विभागीय संयुक्त सचिव, प्रभारी पी0एम0यू0 कोषांग/विभागीय संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3(आरोप)/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा–3 (चारित्री)/श्री दिवाकर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–312/20), जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/05/25

सरकार के संयुक्त सचिव।